



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh
e-Stamp



IN-UP04510160075996W



Certificate No. : IN-UP04510160075996W
Certificate Issued Date : 08-Jul-2024 01:31 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14863604/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1486360405590964647441W
Purchased by : OBDU DIGITAL HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description : RENT AGREEMENT
Consideration Price (Rs.) :
First Party : NAVEEN KUMAR SHUKLA
Second Party : OBDU DIGITAL HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Paid By : OBDU DIGITAL HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)



Please write or type below this line

किरायेदारी अनुबन्ध पत्र

नवीन कुमार शुकल पुत्र अशोक कुमार शुकला निवासी- 4/1सी,
अमरबाग हा मार्ग, जॉर्ज शहर, इलाहाबाद उ0प्र0-211002

Navreen Kumar Shukla.....प्रथम पक्ष/दुकान स्वामी
एवं

मेसर्स OBDU DIGITAL HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
संचालक संजय कुमार पुत्र श्री कंचिंद सिंह निवासी-ग्राम वीरखेड़ा,
पोस्ट-चन्देरू, जिला- बुलन्दशहर, उ0प्र0 एवं कार्यालय का पता-212,
द्वितीय तल, ऑपोजिट इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, विजयीपुर कॉलोनी, विभूति
खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ उ0प्र0-226010

Sworn and Verified
Before me
Salva Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow, India

.....द्वितीय पक्ष/किरायेदार
[Signature]

विदित हो कि प्रथम पक्ष के मकान/दुकान खसरा नं०- 27 खाता संख्या- व घरौनी नं०- स्थित- ग्राम व पोस्ट-पीड़ी (अरैल), थाना-कौन्धियारा, तहसील-करछना, जिला- प्रयागराज 30प्र०-212301 का मालिक कामिल व काबिज हूँ अपने भवन के भूतल पर एक किता दुकान (**OBDU DIGITAL HEALTH CARE PRIVATE LIMITED**) के प्रयोग हेतु मुबलिंग रुपया 250/- (दो सौ पचास रुपया मात्र) में किराये पर देने हेतु तय किया है जिसकी दिशा- दाहिनी ओर- नवीन कुमार शुक्ला, बाई ओर- रोड और ट्रांसफार्मर, पीछे की ओर- बिल्डिंग (नवीन कुमार शुक्ला) व सामने की ओर-अखोरा जारी बाजार रोड, है को निम्नलिखित शर्तों के साथ हम

द्वितीय पक्ष अनुबन्ध करते हैं कि-

1. यह कि द्वितीय पक्ष प्रतिमाह रुपया 250/- (दो सौ पचास रुपया मात्र) प्रथम पक्ष को उक्त किराया अदा करता रहेगा।
2. यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदारी वाले भाग का विद्युत खर्च सब मीटर के अनुसार अदा करेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष दुकान में कोई भी तोड़-फोड़ या रंग परिवर्तन प्रथम पक्ष की अनुमति के बिना नहीं करेगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदारी वाले भाग में कोई विधि विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। यदि ऐसा करता है तो उसका जिम्मेदार स्वयं होगा प्रथम पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. यह कि द्वितीय पक्ष प्रतिमाह 15 से 20 तारीख में किराया अदा करता रहेगा इसमें कोई हीला-हवाली नहीं करेगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदारी वाले भाग का उपयोग (**OBDU DIGITAL HEALTH CARE PRIVATE LIMITED**) हेतु व्यवसायिक गतिविधियां करेगा।
7. यह कि उपरोक्त किरायेदारी दिनांक 15/05/2024 से प्रारम्भ होकर अग्रिम 11 माह तक प्रभावी रहेगी।

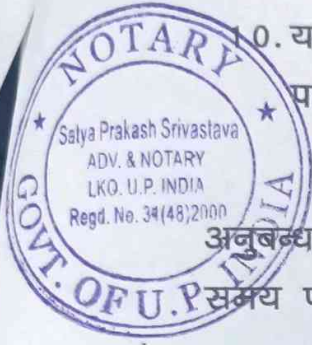


Sworn and Verified
Before me
Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow, U.P. India

8. यह कि उक्त किरायेदारी ग्यारह माह बाद उभय पक्षों की सहमति से किराये में 05% कि वृद्धि करते हुये आगे भी बढ़ायी जा सकती है।

9. यह कि प्रथम पक्ष दुकान खाली कराना चाहता है तो 01 माह पूर्व लिखित नोटिस द्वितीय पक्ष को देगा। यदि द्वितीय पक्ष दुकान खाली करना चाहता है तो वह भी 01 माह पूर्व लिखित नोटिस प्रथम पक्ष को देगा।

10. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त पते से गैस कनेक्शन, बैंक अकाउंट, पत्राचार आदि ले सकता है।



अतः हम उभय पक्ष आज दिनांक 08/07/2024 को यह अनुबन्ध किरायेदारी समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक- 08/07/2024

स्थान :- लखनऊ

*Waseem Kumar
Shukla*

प्रथम पक्ष/दुकान स्वामी

गवाहान

1. Rohit

2. Lokes

द्वितीय पक्ष/किरायेदार

[Signature]

Sworn and Verified
Before me
Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India